न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / एल.आर. / 5040 / 2005 / जालोर

उदरीगाराम पुत्र गणेशाजी जाति सुथार निवासी आहोर तहसील आहोर जिला जालोर

.....अपीलार्थी

बनाम

1— शंकरलाल पुत्र पांचाजी जाति खवास निवासी आहोर तहसील आहोर जिला जालोर।

2— राजस्थान सरकार।

.....प्रत्यर्थीगण

एकल—पीठ
श्री खजान सिंह, सदस्य

उपस्थित:
श्री योगेन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी।
प्रत्यर्थी सं0—1 अनुपस्थित, एकपक्षीय कार्यवाही।

———

निर्णय

दिनांकः सितम्बर, 2022

यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 08 / 2008 में पारित निर्णय दिनांक 02—7—2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी सं0—1 के हक में ग्राम आहोर स्थित पुराने खसरा नंबर 912 में से 3 बीघा भूमि के दिनांक 30—5—1967 को किये गये आवंटन को निरस्त करवाने हेतु अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया, जिसे जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 08—01—1997 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सिरोही कैम्प जालोर के समक्ष पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 23—4—1997 द्वारा अपील इस आधार पर खारिज की है कि अपीलार्थी—शिकायकर्ता को आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। उक्त निर्णय दिनांक 23—4—1997 के विरूद्ध अपीलार्थी ने राजस्व मण्डल के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश की। मण्डल की एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 12—6—2002 द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण अपीलीय न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के लिए प्रतिप्रेषित कर दिया।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने पुनः उभय पक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02–7–2005 द्वारा अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा पुनः पेश की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील–मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी सं–1 को जिस भूमि का आवंटन किया गया था वह आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। उस पर विभिन्न लोगो के रहवासीय मकान बने हुए है। प्रभावित पक्षकारान में अपीलार्थी भी एक है। जिला कलक्टर, जालोर ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र निर्णित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाते हुए अस्वीकार कर दिया है। उनको प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों को स्वयं जांच कर निर्णय करना चाहिए। भूमि तहसीलदार द्वारा आवंटन की गई थी, तहसीलदार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति को बुलाया ही नहीं गया। आवंटित 3 बीघा भूमि पर प्रत्यर्थी सं0 1 काबिज ही नहीं था, आवंटित रकबा में डेढ़–दो बीघा भूमि पर रहवासीय मकान बने हुए है, आवंटन की दिनांक को आवंटित रकबा खाली ही नहीं था, फिर भी तहसीलदार द्वारा भूमि का आवंटन किया गया है। प्रत्यर्थी सं0–1 भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता, उनके पास पहले से ही पर्याप्त भूमि थी। अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि के विपरीत जाकर आवंटन बहाल रखा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाये जावे।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आये है। अतः विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपीक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन कया।

5– पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण में प्रत्यर्थी सं0 1 शंकरलाल पुत्र पांचाजी जी को दिनांक को विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन के लगभग 29 वर्षो के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, जालोर के समक्ष प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन), नियम, 1970 के नियम 14 (4) पेश कर उक्त आवंटन खारिज करने का निवेदन किया गया है।

6– जिला कलक्टर, जालोर ने अपने निर्णय में मण्डल की नजीरों का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट अंकित किया है कि खातेदारी अधिकार केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत ही खारिज किये जा सकते है नियम 14(4) के अन्तर्गत नही। उन्होंने प्रत्यर्थी सं0 1 को किये गये खातेदारी अधिकार से संबंधित भूमि के आवंटन आदेश को अब निरस्त करना उचित नहीं समझा है तथा लम्बी अवधि के बाद शिकायतकर्ता–अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है।

7– न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने भी अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा जो जमाबंदी संवत 2049–52 पेश की गई है एसमें संयुक्त खातेदारी की भूमि अंकित है तथा उसमें प्रत्यर्थी सं0 का हिस्सा 01 हैक्टेयर है जबकि नियमानुसार जालोर जिले में भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में 15 बीघा भूमि तक धारित व्यक्ति को सम्मिलित किया जा सकता है। उन्होंने आवंटन की शर्तो के बारे में भी यह अंकित किया है कि 29 वर्ष की दीर्घायु के बाद अब इन तकनीकी बिन्दुओं पर विवेचन किया जाना उचित नहीं है तथा

उन्होंने जिला कलक्टर द्वारा साक्ष्य सबूत, प्रस्तुत नजीरों तथा प्रत्यर्थी के दृष्टिविहीन बुजुर्ग व्यक्ति होने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारित किये गये निर्णय दिनांक 08–01–1997 को विधिसम्मत माना है।

8– पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि अपीलार्थी आवंटित भूमि का प्रभावित पक्षकार अपने आपको सिद्ध नहीं कर पाया है। उसका हित अगर आवंटित भूमि में निहित था तो उसने इतनी लम्बी अवधि के बाद प्रार्थनापत्र नियम 14(4) क्यों पेश किया है। इतनी अवधि तक वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित क्यों नहीं आया इसका कोई उचित जवाब वह नहीं दे सका है। जिला कलक्टर, सिरोही एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपने विस्तृत निर्णय में प्रत्यर्थी सं0–1 शंकरलाल को दिनांक 30–5–1967 को किया गया आवंटन उचित माना है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई नया कथन एवं तथ्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समतर्वी निर्णयों में ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हुए जिसमें इस अपील के जरिये हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9– परिणामतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली का निर्णय दिनांक 02–7–2005 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर का निर्णय दिनांक 08–01–1997 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(खजान सिंह)
सदस्य